

सुप्रीम कोर्ट केस मामला/तुरन्त

प्रेषक

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,  
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला

सेवा में

प्राचार्य,  
राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय, भिवानी

यादि क्रमांक 22/05-2026 प्रशा(2)  
दिनांक पंचकूला 9-3-2026

विषय:-

**SLP (Civil) No. 24404 of 2024 titled as Surinder Kumar Mishra V/s S.S. Parshad & Ors.**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।


विषयांकित मामले में आपको लिखा जाता है कि नीचे दिए गए प्रोफार्मा प्रतिवादी के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना दो दिन के भीतर निदेशालय को ई मेल [hechryadm@gmail.com](mailto:hechryadm@gmail.com) तथा [hechrynewcollege6@gmail.com](mailto:hechrynewcollege6@gmail.com) पर उपलब्ध करवाने का कष्ट करें:-

Sr. No.	Name of Petitioner/ Respondents	Date of Retirement	Pay Fixed vide order dated	At Sr. no. in the Pay fixation order
11.	Ms Neelam Mahajan, Lect. in History, Govt. College for Women, Bhiwani	30.06.2013	Order No. 19/79-2022 Ad(1) Dated 25/28.04.2023	Sr. no. 11

1. प्रतिवादी को बतौर एसोसिएट प्रोफेसर सेवानिवृत्ति उपरान्त लीव इन्कैशमेंट को कितना लाभ किस तिथि को प्रदान किया गया है।
2. प्रतिवादी को प्राचार्य के पद पर डीम्ड पदोन्नति प्राप्त होने के फलस्वरूप हुए वेतन नियतन आदेश क्रमांक 17/79-2022 प्रशा(1) दिनांक 28.4.2023 (आदेश निदेशालय की वेबसाइट [www.highereduhry.ac.in/forms/WebPages/Archives](http://www.highereduhry.ac.in/forms/WebPages/Archives) पर उपलब्ध हैं) की अनुपालना में लीव इन्कैशमेंट के Difference of Pay का कितना लाभ किस तिथि को प्रदान किया गया है।

उपरोक्त सूचना दस्तावेजी प्रमाण सहित उक्त अंकित ई-मेल के माध्यम से दो दिन के भीतर भिजवाई जाए।

मामले को परम अग्रता दी जाए।

  
अधीक्षक प्रशासन

कृते: महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा हरियाणा,  
पंचकूला।

प्रति:-

✓ प्रभारी-आई०टी० सैल वैबपोर्टल पर उपलोड हेतु प्रेषित है।